न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या–05/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्रहलादराम पुत्र चन्द्राराम जाति ब्राहमण निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागोर		1. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर । 2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं कार्यपालक इंजिनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458, पता–104, आदर्श नगर, अजमेर

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री मधुर सिखवाल।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा, अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से वकील श्री.राकेश धनकड़।

आदेश दिनांक: 12-12-2019

1–वकील प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–65/2016 प्रहलादराम बनाम भारत संघ वगैरह में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 29.01.2018 की पालना नहीं किये जाने से यह अवमानना प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. के तहत दिनांक 29.03.2019 को पेश किया, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकुलाय की बहस सुनी गई।

2–वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि–

2(1)– प्रार्थी की ओर से एक आर्बिटेशन आवेदन न्यायालय हाजा के समक्ष अप्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य पक्षकार बनाकर रेफरेन्स के रूप में दिनांक 17.06.2016 को पेश किया जो दर्ज किया जाकर प्रकरण संख्या–65/2016 कायम कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं दिनांक 29.01.2018 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में इस आश्य का आदेश पारित किया कि "प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को पुनः प्रतिप्रेषित कर उक्त आदेश के बिन्दू संख्या–5(8) में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को युक्तियुक्त साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में यथाशीघ्र विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है।"

2(2)–प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के पश्चात दिनांक 12.02.2018 को अपर जिला कलक्टर नागौर के समक्ष सुनवाई के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष भी ऐसा ही आवेदन प्रस्तुत किया मगर दोनों अप्रार्थीगण ने आज दिन तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की है एवं न ही प्रार्थी के हक में जो नियत जगह से ज्यादा जगह पर सड़क का निर्माण कर लिया है उसके बाबत युक्तियुक्त अवार्ड पारित किया है।

2(3)–प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा के आदेश के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को समय–समय पर पालना बाबत निवेदन किया, इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की परिवेदना का निस्तारण नहीं किया, न ही माननीय न्यायालय के आदेश की पालनार्थ कोई कार्यवाही की, जिससे अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना के दोषी होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के आदेश की पालना करवाने हेतु

कलक्टर, नागौर

उचित आदेश समयावधि निश्चित करते हुऐ जारी करने एवं न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना व अवज्ञा हेतु उचित सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3–वकील श्री राकेश धनकड़ ने अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. लागू नहीं होते है क्योंकि आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. जहां कहीं सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा के आदेश की अनुपालना नहीं किए जाने की स्थिति में आदेश 39नियम 2ए सी.पी.सी. के तहत अवमानना याचिका आदेश पारित किये जाने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई आदेश नहीं है, अन्यथा भी हस्तगत प्रकरण में सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते है इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

3(1)–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाकर आवेदन माननीय पंच महोदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अवमानना याचिका संबंधित व्यक्ति/अधिकारी के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है, इस आधार पर भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)–माननीय पंच महोदय द्वारा दिनांक 23.1.2018 को पारित आदेश में मिन उत्तरदाता को किसी प्रकार के कोई निर्देश पारित नहीं किए गए, ऐसी स्थिति में जबकि मिन उत्तरदाता को किसी प्रकार का कोई निर्देश प्रदान ही नहीं किये गये तो माननीय पंच महोदय द्वारा पारित आदेश की मिन उत्तरदाता द्वारा किसी भी प्रकार से अवमानना किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है परंतु बावजूद इसके प्रार्थी द्वारा अनावश्यक रूप से मिन उत्तरदाता को हैरान परेशान करने की नियत से यह आवेदन माननीय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4–राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा के आदेश 29.01.2018 के बिन्दु संख्या–5(8) के अनुसार मौजा बांठड़ी के खसरा नम्बर 404 में से अधिगृहित होना पाया गया है, जिससे अवशेष 0.1182 हैक्टयर भूमि का खातेदार का मुआवजा बाबत पक्षकार को सुनवाई कर कार्यवाही के निर्देश न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत्त किये गये है।

4(1)–तहसीलदार डीडवाना को वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु पत्रांक–1256 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा लिखा गया है, जिन्होने पत्र कमांक–2381 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई है। भूमि अवाप्ति से 0.1141 अधिक उपयोग में ली गई है। भूमि को अवाप्त/छूटे हुए भूखण्डों के रूप में मुआवजा भुगतान की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव परियोजना निदेशक द्वारा करना होता है, जिन्हे पत्रांक–1275 दिनांक 08.02.2018 व पत्राक 50 दिनांक 25.03.2019 से निर्देशित किया जा चुका है तथा पुनः उक्त भूमि के मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

4(2)–न्यायालय हाजा के आदेश की पालना हेतु सतत् कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना की गई है, ऐसा नहीं है। नियमानुसार प्रकिया/औपचारिकताऐं पूर्ण कर शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण किये जाने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

5–वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में राजपैरोकार के कथनानुसार न्यायालय हाजा के आदेश 29.01.2018 की पालना के संबंध में उनके द्वारा तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट चाही गई जो तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्र कमांक–2381 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई है। भूमि अवाप्ति से 0.1141 अधिक उपयोग में

ली गई है। भूमि को अवाप्त/छूटे हुए भूखण्डों के रूप में मुआवजा भुगतान की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव परियोजना निदेशक द्वारा करना होता है, जिन्हे पत्रांक–1275 दिनांक 08.02.2018 व पत्राक 50 दिनांक 25.03.2019 से निर्देशित किया जा चुका है तथा पुनः उक्त भूमि के मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया जा रहा है। राजपैरोकार के उक्तानुसार कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की गई हो ऐसी कोई ठोस साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। यद्यपि यह सही है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रश्नगत आदेश 29.01.2018 पारित किये 1 वर्ष 10 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण नहीं की है, जो कि कतई उचित नहीं है। इसलिए इस संबंध में अप्रार्थी को निर्देशित किया जाना उचित है।

5(1)– अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या–1 को हस्तगत प्रकरण के संबंध में प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.01.2018 की पालना इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की दिनांक से 2 माह में करने का आदेश दिया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या–2 को प्रश्नगत आदेश की पालना हेतु अप्रार्थी संख्या–1 को विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सहयोग/कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5(2)–आदेश सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 18:20:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: